झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 15 वर्ष 2021

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती नैना कुमारी मुण्डा, एदलहातु, P.S. - बरियातु, मोरहाबादी, राँची।

संबंधित संचिका रा०खा०आ०(विवि) - 28/2020

बनाम

DISPOSED 01/02/2022

प्रतिवादी DSO, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्त्ता श्रीमती नैना कुमारी मुण्डा, ग्रा0—एदलहातू, थाना—बरियातु, मोराबादी, राँची का शिकायत—पत्र दिनांक—07.12.2020 को आयोग को प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा राशनकार्ड संख्या—202004957064 से अपने पति का नाम हटाने एवं अपने नाम से नया राशनकार्ड निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त शिकायत—पत्र के आलोक में आयोग के पत्रांक—799 दिनांक—10.12.2020 द्वारा कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची से अनुरोध किया गया। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण आयोग के पत्रांक—121 दिनांक—18.02.2021, पत्रांक—470 दिनांक—05.08.2021 एवं पत्रांक—596 दिनांक—01.09.2021 द्वारा स्मारित भी किया गया। एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। सुनवाई की तिथि दिनांक—18.01.2022 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची को नोटिस भेजा जाय। Rajan 28/12/21.	

D:\Premlata\Final Court Order.docx12

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.01.2022	अभिलेख उपस्थापित की गई। प्रतिवादी के रूप में पणन पदाधिकारी, राँची श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। सुनवाई के क्रम में पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड सं0–202004957064 से श्री सुनील लोहरा का नाम हटा दिया गया है। परन्तु अब तक कार्ड निर्गत नहीं किया गया है। आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को आवेदन के अनुसार जाँचोपरान्त राशन कार्ड निर्गत कर आयोग को दिनांक–31 जनवरी, 2022 तक कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए। 18/01/2022 (हलधर महतो) सदस्य	
18.01.22		
01.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। विशिष्ट अनुभाजन पदा० के पत्रांक 54, दिनांक 28.01.2022 के द्वारा कार्ड निर्गत किए जाने की सूचना दी गई है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 01.02.2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Ziyaul\Vinod Sir\court order.docx13

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261